

देवता,

नौकर चालिका,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश वाराणसी

संवाद में,

नृषुप्त वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुबंध-२
प्रिय- उत्तर प्रदेश सोनभद्र के रेन्कूट वन प्रभाग के अनुबंध-२ तो हिंदूगढ़ी इन्होंने जलवायु के अनुभवों के बारे में जारी करने के लिए एक एवं वर्ष दी गयी ६,१९१ हेक्टेक्टर वनभूमि की ओर जो पुनः २५ एकड़े हेतु दिनांक ०१.०५.२०२२ से दिनांक ३१.०३.२०४७ तक नवीनीकरण लिये जाने के अन्तर्बीच में (प्रस्ताव संघर्ष-एकाई/यूपी/ट्रांस/१४०४०२/२०२१)

लहौरगढ़
उपर्युक्त लियोक आदेश पत्रक-२२७२/११-सी-एफई/यूपी/ट्रांस/१४०४०२/२०२१ दिनांक ०९.०१.२०२३ वन संघर्ष वानदीर यापन करता

१- इस अनुबंध में गुप्ते यह कहने का निर्देश हुआ है कि विवरणात् प्रभावों के परीक्षणात्मक अनुभवों का विवरण किया जाये।

१. प्रभाव के अनु-२ पर दिलेते वर्तन अनुभवों पर स्थानिक विवरण कियाजाएँ ?
२. प्रस्ताव के अनु-२३ वर्तन द्वारा दिलेगत विवरण अनुबंध व इसे वर्तन अनुभवों के अनुभवों में दिल जाये हैं ? स्पष्ट किया जाये।
३. प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्धीय ग्रेर वानदीर सिये जाने से सम्बन्धित प्रभाव वन/वानमहाते व उत्तर नहीं हैं। या सम्बन्धीय वर्तन अनुभवों में सिया जायेगा ? वर्तन अनुभवों ?
४. विवरणात् प्रभावण ऐसे रूपें दिये जाना चाहिए किया जाता है ?
५. वन (संरक्षण) विवरण २०२२ के प्रतिलिपों के अनुसार प्रवर्तन के बारे, फि जाप हेतु परिवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुबंध-२ अवृत्ति वाले वार्षिक-वार्षिक विवरण-३२६१/४१-२-२०२२-६००(६०)/२००० दिनांक १०.०१.२०२३ द्वारा गठित संस्थित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट ट्रान्सिड बोर्ड (PSC) के अनुसूचित परिवरण अनुबंध वर्तन जाया।
६. वर्तन के अनु-२३ पर दिलेते प्रभाव वर्तन अनुभवों के अनुभवों द्वारा प्रदर्शित नहीं हैं ?
७. वर्तन में परियोजना की देखी परिवरण लाइन तो है, यहां लिये जाना तक लौटियर माना जाय ? स्पष्ट किया जाय।

कृपया उपरोक्तपुस्तक सूचना/अनुभवों वाला एवं उपर्युक्त वर्तन का महं करो।

श्रद्धार्थ,
(नृषुप्त चालिका)
उप सचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- ३०३३ /११-सी-FP/UP/Trans/१४०४०२/२०२१, लखनऊ, दिनांक: मार्च २३, २०२३

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर विन्दुवार वालित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों ने संस्तुति के साथ प्रेषित करने का काष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभावीय वनाधिकारी, रेन्कूट वन प्रभाग, रेन्कूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर विन्दुवार वालित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— श्री पिंडेक कुमार, हेड लीगल, नें० हिंडालको इण्डस्ट्रीज लिं०, रेन्कूट-तोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी डेटु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।